

RRHO. 1403  
19-6-13

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 17 JUN 2013

—: आदेश :—

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी, लोकायुक्त, राजस्थान जयपुर को राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (सेवा शर्ते) नियम 1974 के नियम 12 (1) एवं 13 इस विभाग के अधिसूचना संख्या प.1 (77)जीए-ग/55 दिनांक 5.9.2005 की अनुपालना में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलता प्रदान करते हुए आउट आफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/33 गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार निःशुल्क आवंटन उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतदद्वारा आवंटित किया जाता है।

राज्यपाल की ओझा से,

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ13003343 दिनांक 14.6.2013 के क्रम में।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, सिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. सहायक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अधिशासी अधिकारी, साठनी०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/राज्यपुर वि०वि०नियम लि०, गांधीनगर जयपुर।
11. निदेशक, उद्यान विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी, लोकायुक्त, राजस्थान जयपुर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी सामान्य प्रशासन ग्रुप-4 विभाग, जयपुर।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
15. समर्पण अनुभाग (सामान्य प्रशासन ग्रुप -1,3,5 एवं 6)
16. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रावि।
17. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव